कोरोना की रोकथाम संबंधी उत्पाद बनाने वाली इकाइयां लगाने पर ₹10 करोड़ तक की मदद

यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना की गाइडलाइन जारी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम संबंधी मेडिकल सामग्री निर्माण की इकाइयां स्थापित करने पर 10 करोड़ रुपये तक मदद मिल सकेगी। इसके लिए यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नवनीत सहगल ने कहा है कि योजना के तहत पात्र इकाइयों को प्लांट व मशीनरी के लिए कुल व्यय का 25 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। जीएसटी-एमएसई योजना के तहत भुगतान की गई राशि की भी प्रतिपूर्ति होगी। यह वित्तीय सहायता इकाई के कार्यरत होने के बाद दावे के आधार पर दी जाएगी।

योजना वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों और नई स्थापित होने वाली उन इकाइयों पर प्रभावी होगी, जो कोविड से संबंधित जरूरी मेडिकल सामग्री के लिए अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करेंगी या इस क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करेंगी। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर दिया जाएगा। बजट उपलब्धता के आधार पर धनराशि की प्रतिपूर्ति होगी। यह योजना अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग इसके लिए नोडल विभाग होगा।

महज 72 घंटे में दी जाएगी एनओसी

पात्र इकाइयों के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। उन्हें उप्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम- 2020 के अंतर्गत 72 घंटे में एनओसी दी जाएगी। केंद्र सरकार से संबंधित एनओसी दिलवाने में फास्ट ट्रैक मोड में मदद की जाएगी। विभाग प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट आदि की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों व अस्पतालों के मध्य समन्वय का काम करेगा। सरकार अस्पतालों में 20 वर्ष की ऑक्सीजन आपूर्ति का अनुश्रवण कराएगी।

यह होगी मदद पाने के लिए प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र इकाई को किसी भी कॉमर्शियल बैंक या सिडबी में आवेदन करना होगा। उपायुक्त उद्योग आवेदन पत्रों का परीक्षण करेंगे। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष आवेदन देना होगा। समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय को अग्रसारित किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में शासन स्तर पर एक कार्यकारी समिति का गठन होगा। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। आवेदनों को कार्यकारी समिति को अग्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर कार्यकारी समिति का निर्णय अंतिम होगा।